

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई० एस० ओ० 9001-2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

विद्यालय कोड

Tel. No.

शैक्षिक सत्र.....के लिए कक्षा...../.....की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

मैं अपने विद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए.....रुपये बैंक ड्राफ्ट नं०.....

दिनांक.....बैंक का नाम.....के माध्यम से भेज रहा हूँ ।

For Office Use only		Amount	<input type="text"/>
Regd. Letter No.	<input type="text"/>	Board's fee Receipt No.	<input type="text"/>
Date of Receipt of Form	<input type="text"/>	Date of Receipt	<input type="text"/>
Amount of Draft	<input type="text"/>	Cashier	
Signature			

- विद्यालय का नाम एवं पता
- प्रबन्धक समिति का नाम
- जिला/तहसील व उपमण्डल का नाम
- मान्यता प्राप्त करने की तिथि
- पिछले वर्ष कहां तक सम्बद्धता प्राप्त की गई
- किस स्तर तक सम्बद्धता हेतु आवेदन किया जा रहा है ।

7. कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या

कक्षा	9	10	11	12
विद्यार्थियों की संख्या				

लगातार-2

विद्यालय कोड

में बोर्ड द्वारा लगाए गये सभी नियमों का पालन करूंगा/करुंगी। संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1. संस्था द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित, मुद्रित तथा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें ही प्रयुक्त की जायेंगी। यदि बोर्ड द्वारा कोई पाठ्य पुस्तक प्रकाशित/मुद्रित नहीं है तो केवल बोर्ड द्वारा प्रस्तावित (Recommended) की गई पुस्तकें ही प्रयुक्त की जायेंगी।
2. संस्था यदि राज्य सरकार से किसी भी प्रकार से सहायक अनुदान प्राप्त (Grant-in-aid) नहीं है तो संस्था के मैनेजिंग कमेटी में बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा।
3. बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
4. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
5. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल/इम्प्रेसोनेशन एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
6. संस्था बोर्ड द्वारा बनाए गए पाठ्य-क्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
7. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी।
8. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी/नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
9. बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करेगी।
10. विद्यालय में प्रारंभ से पढने वाले छात्र/छात्राओं एवं अन्य विद्यालयों से स्थानान्तरित होकर इस विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों के शैक्षिक एवं जन्म तिथि आदि तथ्यों से सम्बन्धित रिकार्ड की सत्यता के लिए संस्था का मुखिया व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।
11. संस्था द्वारा हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 28 क्रम संख्या (1 से 21) के अनुसार किसी भी प्रकार का रिकार्ड एवं रजिस्टर तैयार करने की पालना की जाएगी। नियमों के विरुद्ध तथा फर्जी एस.एल.सी. के आधार पर किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो बोर्ड को विद्यालय की सम्बद्धता रद्द करने का अधिकार होगा।

में प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना विद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पूर्ण रूप से सत्य हैं एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। इस आवेदन पत्र में दर्शाये गये उपरोक्त निर्देशों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ लिया है, इन्हें मैं स्वीकार करता/करती हूँ।

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक का
पूरा नाम दूरभाष सहित

हस्ताक्षर
प्राचार्य/मुख्याध्यापक
विद्यालय की
मोहर सहित

- नोट :-
1. सम्बद्धता हेतु शुल्क बैंक ड्राफ्ट, सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम से बनवाकर भेजा जाए।
 2. सम्बद्धता हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित शुल्क सहित, सहायक-सचिव (सम्बद्धता) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा जाये।